न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/620

1. परमानन्द आत्मज स्वर्गीय नाथूलाल जाति मीणा निवासी ग्राम हनुवंतखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा हाल मुकाम सोगरिया रोड अभिषेक एनक्लेव मकान नम्बर 163, कोटा ।
2. किशन लाल आत्मज स्वर्गीय श्री नाथूलाल जी जाति मीणा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   2/1. एकांश मीणा पुत्र स्व0 किशनलाल मीणा ।
   2/2. शिप्रा मीणा पुत्री स्व0 किशनलाल मीणा ।
   2/3. विप्रा मीणा पुत्री स्व0 किशनलाल मीणा ।
   2/4. शीला मीणा पत्नी स्व0 किशनलाल मीणा जाति मीणा निवासीगण ग्राम हनुवंतखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा हाल मुकाम खिडी एक्सटेंशन मालवीय नगर मकान नम्बर आर–8 निजामुद्दीन नई दिल्ली ।

–––अपीलान्ट

बनाम

1. शिवकुमार आत्मज स्वर्गीय नाथूलाल जाति मीणा निवासी ग्राम हनुवंतखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोआ हाल मुकाम प्लाट नम्बर 207 शुभम् रेजीडेन्सी आर0 के0 नगर बारां रोड पुलिस लाईन कोटा हाल मुकाम 53 ए श्री कल्याण विहार बोरखेडा ।
2. सीमा पत्नी स्वर्गीय श्री रूपेश कुमार जाति मीणा ।
3. हिमांशु
4. तुषार पिसरान स्वर्गीय श्री रूपेश कुमार जाति मीणा नाबालिंगान जरिये वली माता सीमा बेवा स्वर्गीय रूपेश कुमार निवासीगण ग्राम हनुवंतखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
5. यशोदा बाई पुत्री स्व0 श्री नाथूलाल जी पत्नी श्री दयाराम जी जाति मीणा निवासी मकान नम्बर 24 मोतीनगर बोरखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
6. कमलेश पुत्री स्व0 श्री नाथूलाल पत्नी श्री सुरेशचन्द जाति मीणा निवासी महावीर कॉलोनी रामानन्द सीनियर सैकण्डरी स्कूल के पास रंगपुर रोड कोटा जं0 कोटा तहसील, लाडपुरा जिला कोटा ।
7. श्रीमती चन्द्रिका मीणा पत्नी श्री बी0एल0 मीणा निवासी 575 (ए) तलवण्डी कोटा ।
8. लोकेन्द्र कुमार आत्मज रामदयाल जाति मीणा निवासी ग्राम अलोद तहसील खानपुर जिला झालावाड ।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

–––रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री उत्तम चन्द खण्डेलवाल, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री गोपाल दत्त शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट क्रम 7 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 30.11.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.10.2017 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि ग्राम कंवरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में आराजी खसरा नम्बर 33 की रकबा 0.32 हैक्टर, खसरा नम्बर 34 की 1.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 35 की 0.44 हैक्टर, खसरा नम्बर 36 की 0.35 हैक्टर, खसरा नम्बर 37 की 0.38 हैक्टर, खसरा नम्बर 38 की 0.37 हैक्टर, खसरा नम्बर 39 की 0.31 हैक्टर, खसरा नम्बर 40 की रकबा 0.30 हैक्टर, खसरा नम्बर 41 की 0.30 हैक्टर, खसरा नम्बर 43 रकबा 0.24 हैक्टर, खसरा नम्बर 59 की 0.74 हैक्टर, खसरा नम्बर 60 की 0.58 हैक्टर, खसरा नम्बर 68 की 0.39 हैक्टर, खसरा नम्बर 64 की 1.05 हैक्टर कुल 14 किता की 6.83 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि में प्रार्थीगण के पिता स्व0 नाथू लाल जी का 1/6 हिस्सा निहित था । ग्राम हनुवत खेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खसरा नम्बर 67 की 1.52 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 265/311 की 0.16 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि प्रार्थीगण के पिता के तन्हा खाते की भूमि थी । नाथूलाल जी के स्वर्गवास के पश्चात् दोनों ग्रामों की भूमि का विरासत का नामान्तरकरण तस्दीक करते हुए उनके हिस्से एवं खाते की सम्पूर्ण भूमि उनके चारों पुत्र एवं दोनों पुत्रियों तथा उनकी बेवा अर्थात् प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के नाम तस्दीक करते हुए नाथूलाल के स्थान पर उक्त भूमि सभी के संभाग से नाम दर्ज कर दी जो सर्वथा अवैधानिक है । पक्षकारान मीणा जाति के सदस्य हैं जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं । उक्त कानून में वर्णित प्रावधानों के अनुसार पुत्रों के रहते हुए पिता की सम्पत्ति में पुत्रियों को किसी भी प्रकार का विरासतन अधिकार प्राप्त नहीं होता है । राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटिपूर्ण इन्द्राज का दुरूप्योग करते हुए अप्रार्थी कमलेश ने दिनांक 22.08.2006 को ग्राम कंवरपुरा में अपना स्वयं का हिस्सा बताते हुए उक्त हिस्सा अप्रार्थी यशोदा के पक्ष में रिलीज डीड निष्पादित करते हुए उसका पंजीयन करवा दिया । अप्रार्थी यशोदा ने दिनांक 22.07.2010 को अप्रार्थी शिवकुमार के पक्ष में स्वयं का सम्पूर्ण हिस्सा त्यागते हुए उसके पक्ष में रिलीज डीड निष्पादित कर उसका पंजीयन करवा दियां । ग्राम हनुवतखेडा की भूमि में अप्रार्थी कमलेश बाई ने अपना हिस्सा रिलीज कर दिया । अप्रार्थीगण क्रम 1 से 8 राजस्व रिकॉर्ड में गलत इन्द्राज का अनुचित फायदा उठाकर वादग्रस्त आराजी को खुर्द–बुर्द करने तथा कृषि से अकृषि में परिवर्तित करने पर आमादा हैं । प्रार्थीगण का प्रथमदृष्टया प्रकरण उनके पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति होने की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में है ।

3. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण क्रम 1 से 8 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि ताफैसला वाद अप्रार्थीगण दोनों ग्रामों की वादग्रस्त आराजी को खुर्द–बुर्द, रहन, बेचान एवं अन्य किसी प्रकार से अन्तरण नहीं करें न ही कृषि से अकृषि में परिवर्तित करें । अप्रार्थीगण क्रम 7 व 8 को पाबन्द किया जावे कि वह प्रार्थीगण को उक्त भूमि से बेदखल नहीं करें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 25.10.2017 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा का खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.10.2017 से व्यथित होकर प्रार्थीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील पेश कर निवेदन किया कि पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य हैं । वादग्रस्त आराजी पक्षकारान की पैतृक सम्पत्ति है । रेस्पोडेन्ट क्रम 7 व 8 अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 6 के परिवार के सदस्य नहीं हैं । उनका नाम राजस्व रिकॉर्ड में शिवकुमार एवं रूपेश कुमार द्वारा उनके हिस्से में से भूमि विक्रय कर देने के कारण राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है । रेस्पोडेन्टगण उक्त भूमि को कृषि से अकृषि में परिवर्तित कर भूखण्डों के रूप में विकय्र करने पर आमादा हैं जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार नहीं है । प्रार्थीगण अपीलान्ट का प्रथमदृष्टया प्रकरण उनके पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति होने की संभवना भी अपीलान्ट के पक्ष में है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.10.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने में त्रुटि की है किशनलाल का दिनांक 14.10.2017 को स्वर्गवास हो चुका था जिनके विरूद्ध आदेश पारित किया गया है वह विधि – विरूद्ध है । अधीनस्थ न्यायालय ने इन तथ्यों पर गौर नहीं किया है कि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 6 एक ही परिवार के सदस्य है और नाथूलाल जी के उत्तराधिकारी हैं । रेस्पोडेन्ट क्रम 7 लगायत 8 परिवार के सदस्य नहीं हैं । शिवकुमार एवं रूपेश कुमार द्वारा किये गये विक्रय के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है इस विक्रय के आधार पर उन्हें संयुक्त परिवार की सम्पत्ति में कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है । रेस्पोडेन्टगण कृषि भूमि में भूखण्ड काटने पर आमादा हैं जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार नहीं है । पक्षकारान मीणा जाति के सदस्य हैं जो अनुसूचित जनजाति में आते हैं जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होते हैं । पुरानी हिन्दू विधि के अनुसार पुत्रियों को किसी प्रकार का अधिकार पुत्रों की उपस्थिति में प्राप्त नहीं होता है । राजस्व रिकॉर्ड में उनका जो नाम दर्ज किया गया है वह अवैध है इस अवैध इन्द्राज का फायदा उठाकर यशोदा एवं कमलेश ने जो रिलीज डीड निष्पादित की है वो अवैध है । क्रयकताओं का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा नहीं है उन्हें कब्जा करने का अधिकार भी नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.10.2017 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने कथन की पुष्टि में आरआरटी 2014 (2) पेज 901, आरआरडी 2006 पेज 626, आरआरडी 1991 पेज 197 उद्धरत की ।

8. रेस्पोडेन्ट क्रम 7 के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट ने शिवकुमार की आराजी क्रय की है । शिवकुमार का जितना हिस्सा आराजी में निहित है उससे कम रकबा उनके द्वारा विक्रय किया गया है । विक्रय पंजीकृत विक्रय से हुआ है, कब्जा रेस्पोडेन्ट को संभला दिया गया है । रेस्पोडेन्ट रिकॉर्डेड खातेदार है जिनके खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.10.2017 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2072 से 2075 नया खाता संख्या 44 ग्राम कंवरपुरा की कुल 14 किता की 6.83 हैक्टर आराजी स्थित है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 ग्राम हनुवतखेडा की नया खाता संख्या 2 की 0.16 हैक्टर आराजी स्थित है । फोटो प्रति रिलीज डीउ यशोदा एवं कमेलश मीणा दिनांक 13.07.2005, फोटो प्रति रिलीज डीड द्वारा कमलेश दिनांक 22.08.2006, फोटो प्रति रिलीज डीड यशोदा दिनांक 22.07.2010, फोटो प्रति विक्रय पत्र द्वारा शिवकुमार दिनांक 31.07.2012 संलग्न है ।

10. वादग्रस्त आराजी पक्षकारों के संयुक्त खाते में दर्ज है । पक्षकारान प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण क्रम 1 लगायत 6 नाथूलाल के वारिसान हैं । पक्षकारान अनुसूचित जाति के सदस्य हैं जिन पर पुरानी हिन्दू विधि लागू होती है जिसके अनुसार पुरूष उत्तराधिकारी होने पर महिलाओं को पिता/पति से प्राप्त सम्मत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है । तद्नुसार वादग्रस्त आराजी में से प्रार्थीगण परमानन्द, किशनलाल अप्रार्थीगण शिवकुमार, रूपेश कुमार संभाग से हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी हैं । यशोदा एवं कमलेश पुत्री नाथूलाल का वादग्रस्त आराजी में कोई हित–निहित नहीं है तद्नुसार उनके द्वारा निष्पादित रिलीज डीड Abinitio and Void है। यद्यपि पक्षकारान के अधिकार एवं स्वत्व मूल दावे में साक्ष्य के दौरान तय होंगे इस स्टेज पर नही ।

11. यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि रेस्पोडेन्ट क्रम 7 व 8 स्ट्रेन्जर परचेजर हैं जो एक सहखातेदार से उसके हिस्से की सीमा तक आराजी क्रय तो कर सकते हैं परन्तु विभाजन के उपरान्त ही कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं । स्ट्रेन्जर परचेजर को संयुक्त खाते की आराजी में कब्जा करने का अधिकार नहीं होता है । आरआरडी 2014 पेज 901, आरआरडी 2006 पेज 626, आरआरडी 1991 पेज 197 यहॉ चस्पा होती हैं ।

12. इन तथ्यों के आधार पर हम अप्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजी को ताफैसला वाद रहन, बेचान एवं अन्य किसी प्रकार से खुर्द–बुर्द नहीं करने हेतु पाबन्द किया जाना उचित समझते हैं । साथ ही प्रार्थी क्रम 7 व 8 जो अजनबी क्रेता हैं को बिना विभाजन कराये वादग्रस्त आराजी पर कब्जा करने के अधिकारी नहीं हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने में विधिक त्रुटि की है । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति तीनों प्रार्थीगण के पक्ष्ज्ञ में तय पाये जाते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.10.2017 निरस्त किया जाता है । प्रार्थीगण अपीलान्ट का प्रार्थन पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ताफैसला वाद वे वादग्रस्त आराजी को रहन, बेचान एवं अन्य किसी प्रकार से खुर्द–बुर्द नहीं करें । अप्रार्थीगण क्रम 7 व 8 बिना विभाजन करवाये वादग्रस्त आराजी पर कब्जा नहीं करें ।

14. निर्णय आज दिनांक 30.11.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

30.11.18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा